सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अर्न्तगत 17 बिन्दुओं पर मैनुअल

वर्ष 2015–16

अनुसंधान निदेशालय
गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
पंतनगर.(ऊधमसिंह नगर)–263 145

अनुसंधान निदेशालय
गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
पंतनगर, (ऊधमसिंह नगर) –263 145

1. संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्त्तव्य

भारतवर्ष में कृषि एवं ग्राम्य विकास को नई दिशा देने हेतु ग्रामीण ऑचल में एक कृषि विश्वविद्यालय की संकल्पना को साकार करने हेतु पंतनगर में वर्ष 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका की लैण्डग्रान्ट पद्धति पर आधारित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कृषि एवं तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षण, शोध एवं प्रसार हेतु इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। शोध कार्य को बल देने हेतु विश्वविद्यालय में कृषि अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गयी। इस निदेशालय में वर्ष 1961 में अखिल भारतीय समन्यवित मक्का प्रजनन परियोजना के अंतर्गत फसल अनुसंधान केन्द्र पर परीक्षण प्रारम्भ किए गये। इसके पश्चात फसल अनुसंधान केन्द्र, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, माडल एग्रोनौमी सेन्टर, उद्यान अनुसंधान केन्द्र एवं पर्वतीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई। समय के साथ–साथ अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अनेक दिशाओं में प्रगति की तथा आज निम्नलिखित आंतरिक एवं वाह्य अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से अनेक दिशाओं में अनुसंधान की गतिविधियॉ संचालित की जा रही हैः–

आन्तरिक अनुसंधान केन्द्र

- नार्मन ई0 बोरोलाग फसल अनुसंधान केन्द्र।
- सब्जी अनुसंधान केन्द्र।
- उद्यान अनुसंधान केन्द्र।
- प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र।
- आदर्श पुष्प अनुसंधान केन्द्र।
- मशरूम शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र।
- कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र।
- औषधीय पौध अनुसंधान एवं विकास केन्द्र।
- पंतनगर पादप अनुवांशिकी संसाधन केन्द्र।
- मौन पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र–सह–आदर्श मौन पालन गार्डन।

वाह्य अनुसंधान केन्द्र

- कृषि अनुसंधान केन्द्र, मझेड़ा–गरमपानी (नैनीताल)।
- अनुसंधान केन्द्र, सुई–लोहाधाट (चम्पावत)।
- अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी (पौड़ी)।
- गन्ना अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।
- जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, पटवाडॉगर (नैनीताल)।
- ग्रामीण जैव सम्पदा शोध केन्द्र, खन्ना फार्म, भगवानपुर (उधमसिंह नगर)।
- ज्योतिराम काण्डपाल पर्वतीय नदी–घाटी समन्वित कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केन्द्र, कैहड़गॉव (स्याल्दे), अल्मोड़ा।

इन 10 आन्तरिक एवं 07 वाह्य अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से कृषि एवं इससे सम्बन्धित सभी प्रमुख विषयों पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

लक्ष्य/उद्देश्य

अनुसंधान निदेशालय का प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास की प्रक्रिया में सहायता पहुचॉना तथा पर्वतीय क्षेत्र में समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु इसकी नई सम्भावनाओं की खोज करना है। इसके लिए अनुसंधान कार्यो का झुकाव मुख्य रूप से कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादन का विविधिकरण एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने की ओर केन्द्रित है। साथ ही साथ प्रदेश के किसानों को उन्नत बीज, फल पौध उपलब्ध कराना, तकनीकी जानकारी प्रदान कराना तथा इनकी कृषि एवं वानिकी से सम्बन्धित समस्याओं का समुचित उपाय करने पर भी ध्यान केन्द्रित है।

अधिदेश

विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों का विकास करना, पशुओं की उन्नत नस्लों का विकास करना, उन्नत कृषि यन्त्रों एवं उपकरणों का विकास, फसल एवं पशुधन उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकों का विकास करना, भूमि एवं जल संसाधनों का विकास एवं दक्ष प्रबन्ध करना, ऋण, विपणन एवं भण्डारण जैसी सेवाओं के विकास के लिए कार्य करना, विभिन्न प्रक्षेत्र उद्यमों में प्रबन्ध में सुधार करना, आदि।

प्रशासनिक ढॉचा

विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यो का समन्वय निदेशक, अनुसंधान केन्द्र द्वारा किया जाता है।

आन्तरिक एवं वाह्य शोध केन्द्रों की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

नार्मन ई0 बोरलाग फसल अनुसंधान केन्द्र, पंतनगर

इस केन्द्र पर विभिन्न फसलों के नाभिकीय, प्रजनक एवं आधारीय बीज तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ नई उन्नत प्रजातियों के विकास के एवं नवीन तकनीकीयों पर शोध कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र पर फसलों के बीजों की बिक्री की जाती है तथा किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा फसल उत्पादन सम्बन्धी उचित सलाह दी जाती है।

सब्जी अनुसंधान केन्द्र, पंतनगर

इस केन्द्र पर विभिन्न सब्जियों के प्रजनक एवं आधारीय बीज तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ नई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए शोध कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र पर सब्जी बीज एवं पौधों की बिक्री की जाती है तथा किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा सब्जी उत्पादन सम्बन्धी उचित सलाह दी जाती है।

उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पंतनगर

इस केन्द्र पर विभिन्न फलों की नर्सरी पौध तैयार की जाती हैं साथ ही साथ नई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए शोध कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र पर फलों की पौध एवं बीजों की बिक्री की जाती है तथा किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा फल उत्पादन सम्बन्धी उचित सलाह दी जाती है। यहॉ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 छात्र डिग्री हेतु प्रयोगात्मक एवं शोध कार्य भी करते हैं।

प्रजनक बीज उत्पादन केन्द्र, पंतनगर

इस केन्द्र पर विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज तैयार किए जाते हैं, जिनका विक्रय भी केन्द्र पर किया जाता है। लोबिया परियोजना के अन्तर्गत इस केन्द्र पर लोबिया की उन्नत प्रजातियों के विकास के लिये शोध कार्य भी किया जा रहा है।

आदर्श पुष्प अनुसंधान केन्द्र

इस केन्द्र पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों के बीज रोपण सामग्री उत्पादित किए जाते हैं। साथ ही साथ उन्नत प्रजातियों के विकास एवं उत्पादन के लिए शोध कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र पर पुष्पों के बीजों एवं पौधो की बिक्री की जाती है तथा किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा पुष्प उत्पादन सम्बन्धी उचित सलाह दी जाती है।

मशरूम शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पंतनगर

इस केन्द्र पर विभिन्न खाद्य एवं औषधीय मशरूम प्रजातियों के उत्पादन तकनीकी के लिए शोध कार्य किया जाता है। उत्तराखण्ड एवं देश के अन्य राज्यों के मशरूम उत्पादकों को समय–समय पर मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र से मशरूम के गुणवत्ता स्पान 'बीज' बटन मशरूम की खेती हेतु पास्तुरीकृत गुणवत्ता कम्पोस्ट तथा आवरण मृदा भी किसानों को उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साथ किसानों को परामर्शदायी सेवाएं भी प्रदान की जाती है।

कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, पंतनगर

इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य, कृषि वानिकी की विविधता द्वारा अर्थ व्यवस्था व पर्यावरण में सुधार, उत्तराखण्ड के विभिन्न कृषि जलवायु के लिये समानता योग्य (उपयुक्त) कृषिवानिकी की पद्धतियों का खेतों के किनारे तथा परती भूमि में आधार भूत प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुसंधान की विधियों में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनका उपयोग और विभिन्न स्तरों पर तैयार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, वस्तु विषय में सूचना के संग्रहालय के रूप में कार्य करना, विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के उत्तम क्लोन व प्रजातियां विकसित करना और उच्च गुणवत्ता के विभिन्न रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण।

इस केन्द्र की गतिविधियां जर्मप्लाज्म को एकत्रित तथा उसका मूल्यांकन करना, पॉपलर, यूकेलिप्टस, शीशम, कदम्ब, सैलिक्स, बॉस आदि के उच्च गुणवत्ता के पौधों को तैयार करना, पॉपलर, यूकेलिप्टस, सैलिक्स, बॉस आधारित कृषिवानिकी के माडलों को विकसित करना, कृषि वानिकी के द्वारा परती भूमि का उपयोग करना और मानव संसाधन का विकास करना है।

यहॉ पॉपलर, यूकेलिप्टस, सैलिक्स, बॉस आदि आधारित कृषि वानिकी पद्धति का विकास किया जा रहा है।

औषधीय पौध अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, पंतनगर

औषधीय एवं सगंध पौधों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु इस केन्द्र की स्थापना की गयी। केन्द्र पर विभिन्न औषधीय एवं सगंध पौधों के संग्रह, मूल्यांकन, कृषिकरण, प्रसार एवं प्रसंस्करण हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

औषधीय पौध अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का लक्ष्य विभिन्न औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, उन्नत कृषि तकनीक विकसित करना एवं उसका प्रसार किसानों तक पहुँचाना है।

पन्तनगर पादप अनुवांशिकी संसाधन केन्द्र, पंतनगर

विभिन्न फसलों के जननद्रव्यों के आयात, संग्रहण, संरक्षण, मूल्यांकन एवं उपयोग हेतु विश्व बैंक द्वारा पोषित कृषि विविधिकरण परियोजना के अन्तर्गत पंतनगर पादप आनुवांशिक संसाधन केन्द्र (पी. सी. पी. जी. आर.) की स्थापना की गयी। जैव सम्पदा धनी उत्तराखण्ड राज्य में पादप जननद्रव्यों के महत्व को देखते हुए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण समाप्त होने के पश्चात्, परियोजना को अनवरत रूप से चलाये जाने हेतु आवश्यक धन राशि उत्तराखण्ड द्वारा तथा हार्टिकल्चर टैक्नालोजी मिशन द्वारा प्रदान की गयी है। तद्नुसार परियोजना का कार्यान्वयन संचालित किया जा रहा है।

इस केन्द्र के उद्देश्य पादप जैव विविधता सम्पन्न स्थानों से स्थानीय जननद्रव्यों का संग्रहण, जननद्रव्यों का मूल्यांकन और उपयोग, जननद्रव्यों का सुरक्षित संरक्षण, जननद्रव्य प्रबन्धन पर जागरूकता पैदा करना तथा उन्नत जननद्रव्यों/प्रजातियों का बीज नेशनल जीन बैंक में जमा कर राष्ट्रीय पहचान नम्बर प्राप्त करना है।

मौन पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र–सह–आदर्श मौन पालन गार्डन

इस केन्द्र पर विभिन्न प्रकार के मौन उपयोगी पौधों का रोपण एवं उनके प्रदर्शन द्वारा मौन पालकों को उन पौधों के रोपण एवं संरक्षण के लिए प्रात्साहित किया जायेगा। केन्द्र की स्थापना से किसानों, छात्रों एवं आगन्तुकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाते हुए मधुमक्खियों से पर्यावरण को होने वाले लाभों की जानकारी दी जायेगी। विश्वविद्यालय फार्म एवं शोध केन्द्रों पर लगायी जाने वाली फसलों पर मधुमक्खियों द्वारा पर–परागण से उत्पादन में 20–30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी। मौन पालन का पर्याप्त प्रसार होने पर लघु व्यवसाय के रूप में मौन पालन को बढ़ावा मिल सकेगा। मौन पालन के बढ़ने से प्रदेश में जैव विविधता बढ़ाते हुए प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। केन्द्र पर किसी प्रकार से कृषि रसायनों का प्रयोग न होने से मित्र कीटों की संख्या बढ़ेगी जिससे पर्यावरण संरक्षित करते हुए जैविक खेती का लाभ प्राप्त होगा। अनेकों प्रकार के दुर्लभ परागणकर्ता कीटों का पालन एवं उनका संरक्षण किया जा सकेगा।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मझेड़ा–गरमपानी (नैनीताल)

इस केन्द्र पर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कृषि एव पशुपालन समबंधित विभिन्न विषयों पर शोध कार्य किये जाते है। अनाज एवं दलहनी फसलों की विभिन्न प्रजातियों का पहाडी क्षेत्रों में उगाने हेतु अनुसंधान एवं परीक्षण किये जाते है।

केन्द्र पर सब्जी, अनाज एवं दलहनी फसलों जैसे आलू, गेहूँ, सोयाबीन, गहत इत्यादि का बीज उत्पादन किया जाता है। पादप उतक संबंर्धन द्वारा विभिन्न पौधों जैसे बॉस इत्यादि का उत्पादन किया जाता है।

अनुसंधान केन्द्र, सुई–लोहाघाट (चम्पावत)

इस केन्द्र पर बेमौसमी सब्जियों की सिंचाई हेतु वर्षा जल संचयन तालाब बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, पाली–टनल विधि से सब्जियों की नर्सरी तैयार करने पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, पालीहाउस के अन्तर्गत बेमौसमी सब्जी उत्पादन पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, सब्जियों में नाशीजीव प्रबन्धन पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन तथा फल एवं सब्जियों का मूल्यवर्धित उत्पादन तैयार करने पर प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी (पौड़ी)

खेती में उपयोग होने वाले छोटे और मझोले औजारों पर शोध एवं परीक्षण का कार्य इस केन्द्र पर किया जाता है तथा इन औजारों को बनाने वाले लोहारों/मिस्त्रियों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

गन्ना अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य से अधिक अभिजनक गन्ना बीज का उत्पादन, दो संस्तुतियॉ अखिल भरतीय गन्ना समन्वित योजना में सम्मिलित, नई विकसित तककनीक द्वारा गन्ने की विभिन्न प्रजातियों पर शोध एवं विकास का कार्य, अधिकतम उपज एवं शर्करा युक्त गन्ना उत्पादन पर बल देने हेतु खेती करने की नई तकनीक पर शोध एवं विकास का कार्य, कृषक प्रक्षेत्रों पर आधार बीज गन्ना पौधशालाओं की स्थापना के लिए अभिजनक बीज, गन्ने का विकास एवं संवर्धन तथा शोध उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार–प्रसार माध्यमों से कृषकों तक पहुॅचाकर उनकी व्यवहारिक उपयोगिता को मूर्त रूप देना है।

जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, पटवाडांगर (नैनीताल)

इस संस्थान कों जैव–प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस समय संस्थान में जैव प्रौद्यौगिकी पर शोध एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियों की वैक्सीन व इलाज विकसित करने एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा हैं। संस्थान में रैबीज वैक्सीन बनाने का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण जैव सम्पदा शोध केन्द्र, खन्ना फार्म, भगवानपुर (उधमसिंह नगर)

इस केन्द्र पर जैव प्रौद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना ''**ग्रामीण जैव सम्पदा परियोजना**'' का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण का विस्तार अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना, परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें जैसे छूट पर धान, सब्जियों के संकर बीज एवं उच्च गुणवत्ता युक्त फल पौधों तथा मुर्गी/बत्तखों के चूजे छूट पर कृषकों को उपलब्ध कराये जाते है, संकर धान बीज उत्पादन के अन्तर्गत केन्द्र पर संकर बीज उत्पादन का प्रदर्शन एवं नर मादा वंशों का अभिगुणन करना तथा इन वंशों को कृषकों को समय पर उपलब्ध कराना, संकर सब्जी बीज उत्पादन का प्रदर्शन करना तथा उच्च उत्पादकता वाले सब्जी उत्पादन का प्रदर्शन लगाना, मुर्गी/मत्स्य सह बत्तख पालन के प्रदर्शन के अन्तर्गत केन्द्र पर दो मत्स्य तालाबों एवं एक बत्तख घर का निर्माण कराया गया है जिसका उपयोग कृषकों के प्रशिक्षण एवं केन्द्र की चक्रीय निधि हेतु मत्स्यों का व्यवसायिक उत्पादन भी किया जाता है। जैविक खेती घटक के अन्तर्गत केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु कम्पोस्ट बनाने की विभिन्न विधियों, ट्राइकोडर्मा उपनिवेषित कम्पोस्ट, अजोला तथा नील हरित शैवाल के उत्पादन हेतु प्रदर्शन लगाया गया है। उच्च गुणवत्ता युक्त फल पौध उत्पादन घटक के अन्तर्गत आम, लीची, अमरूद तथा नाशपाती का मात्र खण्ड की स्थापना की गयी है तथा कृषकों को छूट पर उच्च गुणवत्ता युक्त फल पौध जैसे आम, लीची, अमरूद तथा पपीता की फल पौध भी उपलब्ध करायी जाती है।

केन्द्र पर फसलों के प्रजनक, आधारीय बीज उत्पादन का कार्य, नई प्रजातियों की गुणवत्ता संबंधी तुलनात्मक प्रयोग आयोजित कराना, राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण का आयोजित कराना, संरक्षित खेती का प्रदर्शन आयोजित करना तथा क्षेत्रीय कृषकों की समस्याओं का केन्द्र व प्रक्षेत्र पर जाकर निराकरण करना भी जारी है।

ज्योतिराम काण्डपाल पर्वतीय नदी घाटी समन्वित कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केन्द्र, कैहड़गॉव (स्याल्दे), अल्मोड़ा

इस केन्द्र पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संस्थानों, स्वंयसेवी समूहों, वित्तीय संस्थाओं आदि के सहयोग से कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, खेती का यंत्रीकरण एवं फसल प्रसंस्करण क्षेत्र में निरन्तर सुधार एवं सम्पन्नता लाने के साथ–साथ रिनोवेवल ऊर्जा के प्रयोग, दक्षता–विकास, स्थानीय रीति–रिवाज एवं संस्कृति से सामंजस्य करते हुए ग्रामीण उद्यमिता पर बल तथा पर्यावरण सुधार हेतु तकनीकी व सुदृढ़ सोच का विकास किया जायेगा।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य

निदेशक

निदेशक अनुसंधान केन्द्र, निदेशालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु कुलपति के प्रति उत्तरदायी होता है, निदेशक की शक्तियॉ एवं कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यो को विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं के सहयोग से समन्वयित करना।
- अनुसंधान सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करना।
- निदेशालय से संबंधित अधिनियमों व अन्य नियमों के अनुपालन का उत्तरदायी होना।
- बिना किसी भेदभाव के सभी वैज्ञानिकों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देना तथा अनुसंधान सलाहकार समिति के विचारार्थ नीतियों का निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण।
- निदेशालय के क्रियाकलापों का प्रतिवेदन अनुसंधान सलाहकार समिति एवं कुलपति को प्रस्तुत करना।
- निदेशालय के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों के भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों के अनुसंधान कार्यो में प्रयोग हेतु कुलपति के प्रति उत्तरदायी होना।
- विभिन्न संगोष्ठियों में निदेशालय का प्रतिनिधित्व करना।
- अनुसंधान सलाहकार समिति के परामर्श पर निदेशालय का आय–व्ययक तैयार करना।
- निदेशालय के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियो एवं शोध केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों के आकस्मिक व अन्य अवकाश स्वीकृत करना।

संयुक्त निदेशक शोध (मुख्यालय)

संयुक्त निदेशक शोध प्राध्यापक स्तर का व्यक्ति होता है, जो मुख्यतः विश्वविद्यालय परिसर में स्थित तथा वाह्य केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के बीजों जैसे– खाद्यान्न फसलें, सब्जियाँ, फल–फूल, औषधीय एवं सगन्ध पौधे, मशरूम, मत्स्य, बायो–एजेंटस, सीमैंन आदि के उत्पादन व वितरण संबंधी कार्यकलपों के समन्वय में योगदान करता है । वर्तमान में संयुक्त निदेशक शोध के रूप में 02 प्राध्यापक तथा सह निदेशक शोध, कुमाऊँ मण्डल, के रूप में 01 सह प्राध्यापक, अनुसंधान निदेशालय में तैनात हैं।

मुख्यालय के संयुक्त निदेशकों की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य निम्न है :–

- अनुसंधान की गुणवत्ता एवं प्रभावी प्रगति हेतु अपने विषय से संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों के सम्पादन में निदेशक अनुसंधान केन्द्र के निर्देशानुसार सहायता पहुॅचाना।
- निदेशंालय के कार्यो की प्रगति का प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता करना।
- अनुसंधान सलाहकार समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली नीतियों/प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता करना।
- विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति एवं प्रभाव के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में सहायता करना।
- अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेना।
- विभिन्न अनुसंधान सम्बन्धी संगोष्ठियों में भाग लेना।
- निदेशक अनुसंधान केन्द्र द्वारा आवंटित अनुसंधान सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन करना।

संयुक्त निदेशक, प्रजनक बीज उत्पादन की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य निम्न है :–

1. विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों (आन्तरिक एवं वाह्य) में बीज एवं प्लांटिग मैंटीरियल उत्पादन के कार्यो का समन्वय करना।
2. विश्वविद्यालय स्तर पर सभी आन्तरिक एवं वाह्य केन्द्रों में बीज एवं प्लांटिग मैंटीरियल उत्पादन संबंधी सूचना एकत्र कर रिपोर्ट बनाना।
3. बीज उत्पादन एवं प्लांटिग मैटीरियल का प्रदेश विकास, भारत सरकार की आवश्यकतानुसार तथा बीज निगम एवं कम्पनियों को बीज वितरण में समन्वय स्थापित करना।

संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी (विभिन्न अनुसंधान केन्द्र)

निदेशालय के विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य अनुसंधान केन्द्रों पर तैनात संयुक्त निदेशक सामान्यतः एक प्राध्यापक स्तर का व्यक्ति होता है, जो अपने अनुसंधान केन्द्र के समस्त कार्यकलापों के संचालन हेतु निदेशक अनुसंधान केन्द्र के प्रति उत्तरदायी होता है।

संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य निम्न है :–

- निदेशक अनुसंधान से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अनुसंधान केन्द्र पर अनुसंधान की प्रगति एवं गुणवत्ता तथा प्रगति हेतु कार्य करना।
- केन्द्र पर अुनमोदित परीक्षणों के संचालन के लिए वैज्ञानिकों को आवश्यक सुविधाऐं प्रदान करना।
- केन्द्र पर उपलब्ध प्रयोगशालाओं/उपकरणों आदि के अनुसंधान कार्यो में प्रयोग हेतु निदेशक अनुसंधान केन्द्र /कुलपति के प्रति उत्तरदायी होना।
- केन्द्र के प्रभारी के रूप में कार्य करना।
- शोध केन्द्रों की कार्ययोजना के अनुरुप शोध केन्द्रों का वार्षिक कार्य की रुप रेखा तैयार करना एवं उसका कियान्वयन करना।
- शोध केन्द्रों की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना।
- शोध केन्द्रों के उत्पाद का शासन के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से तथा सीधे किसानों एवं काश्तकारों को वितरित करना।
- शोध केन्द्र का आय व्ययक तैयार करना।

वैज्ञानिक

विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अपने संकाय के संबंधित विषयों में शिक्षण कार्य करने के अतिरिक्त उनके द्वारा चलाई जा रही शोध परियोजनाओं के संचालन आदि का कार्य, प्रसार का कार्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य किये जाते हैं।

शोध सम्पादक

शोध सम्पादक के मुख्य कर्तब्य निम्नांकित हैं :–

- शोध निदेशालय द्वारा प्रकाशित छः मासिक शोध पत्रिका *''पन्तनगर जर्नल ऑफ रिसर्च''* की सम्पूर्ण जिम्मेदारी शोध सम्पादक को दी गई है। शोध पत्रों की गुणवत्ता को चयनित वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारण कराना तथा इन शोध पत्रों का सम्पादन शोध सम्पादक का मुख्य कार्य है।
- समय–समय पर निदेशालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों का सम्पादन करना भी निर्धारित किया गया है।
- निदेशालय से सम्बन्धित विभिन्न सूचना पुस्तिका एवं पत्रों का सम्पादन शोध सम्पादक द्वारा किया जाता है।
- निदेशालय की वार्षिक प्रगति आख्या का निर्माण भी शोध सम्पादक द्वारा किया जाता है।

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

- पद/श्रेणी के अनुरूप निर्दिष्ट कार्य।
- सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

3. लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिक और अभिलेख की सूचना

निदेशालय के कार्य विश्वविद्यालय के अधिनियमों, नियमों एवं परिनियमों, के अनुरूप संचालित किये जाते है।

4. नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना

अनुसंधान सलाहकार समिति, निदेशालय के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करने हेतु अधिकृत समिति है। इन नीतियों एवं दिशानिर्देशों की संस्तुति कुलपति महोदय/प्रबन्ध परिषद् द्वारा की जाती है।

5. दस्तावेज जो लोक प्रधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं। श्रेणियों के अनुसार विवरण

- वित्त एवं लेखा अभिलेख
- मानव संसाधन अभिलेख
- अनुसंधान परियोजना अभिलेख
- परिसम्पत्ति अभिलेख

6. बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या बैठक के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी

अनुसंधान सलाहकार समिति की कार्यवाही एवं निर्णयों के अभिलेख विधिवत अनुरक्षित हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं ।

7. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियां

अपीलीय अधिकारी : डा0 जे0 पी0 सिंह
निदेशक अनुसंधान केन्द्र,
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
पंतनगर (ऊधमसिंहनगर), ई.मेल. : desgbpuat@gmail.com
दूरभाष नम्बर–05944–233363, 7500241418

जनसूचना अधिकारियों एवं सहायक जनसूचना अधिकारियों का विवरण **संलग्नक–एक** पर उपलब्ध है।

8. निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षक एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

निदेशक, अनुसंधान केन्द्र, इस निदेशालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो निदेशालय से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा दिए गये प्रस्ताव/सलाह/निर्णय को अनुमोदित करता है ।

9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

विश्वविद्यालय सेवानियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्य सम्पादन करना।

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन का निर्धारण, उत्तरांखण्ड शासन से जारी शासनादेशों पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी/माननीय प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन उपरान्त होता है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन का विवरण **संलग्नक–दो** पर उपलब्ध है।

11. प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी परियोजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

वित्त–नियंत्रक द्वारा बजट आवंटन एवं व्यय वर्ष (2014–15) का विवरण **संलग्नक–तीन** पर उपलब्ध है।

12. अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है

वित्त नियंत्रक इनकी देखरेख करते हैं।

13. रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

वित्त नियंत्रक इनकी देखरेख करते हैं।

14. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम अनुंधान सलाहकार समिति/ प्रबंध परिषद/उत्तरांखण्ड शासन के द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित किए जाते हैं ।

15. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरा

निदेशालय से संबंधित सूचनाये कम्प्यूटर में अनुरक्षित है तथा आवश्यकतानुसार सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध करायी जाती है । सूचनाऐं विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.gbpuat.ac.in पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

16. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका विवरण

सूचनाएं प्रपत्रों, प्रकाशनों, दूरभाष, रेडियों एवं दूरदर्शन, व्यक्तिगत सम्पर्क, किसान मेला एवं गोष्ठी, प्रदर्शनयों इत्यादि के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। सूचनाऐं विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.gbpuat.ac.in पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

उपरोक्त के अतिरिक्त निदेशालय के अधीन निम्न प्रकोष्ठ स्थापित हैः

- आई.पी.आर. प्रकोष्ठ
- प्राथमीकरण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ
- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

(आर0एन0राम)
लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त निदेशक
अनुसंधान निदेशालय,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय
पंतनगर – 263145
जिला – ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड
मोबाईल नम्बर–05944–233564, 8475001522,

(जे0पी0सिंह)
अपीलीय अधिकारी/ निदेशक अनुसंधान केन्द
अनुसंधान निदेशालय,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय
पंतनगर – 263145
जिला – ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड
दूरभाष नम्बर–05944–233363, 7500241418